

**राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग**

क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/2026

जयपुर, दिनांक:- 14/10/2026

आज्ञा

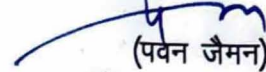
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 में सफल घोषित किए जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के अशा टीप. क्रमांक प.9 (66) कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के क्रम में इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व/07028-10419077 दिनांक 01.10.2026 द्वारा अभ्यर्थियों का राजस्थान लेखा सेवा में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा इस विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने में विभिन्न कारणों से अलग-अलग अवधि हेतु छूट चाही गई है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997, 24.03.2022 एवं 18.05.2022 के अनुसार परीक्षणोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से कार्यग्रहण हेतु तालिका में अंकित अवधि तक की अभिवृद्धि स्वीकृत की जाती है एवं साथ ही अभिवृद्धित अवधि के समाप्ति तिथि तक अपनी उपस्थिति वित्त (राजस्व) विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

क्र.सं.	मेरिट नं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि
1.	2332	आदित्य माथुर	दिनांक 31.12.2026
2.	2234	प्रियंका शर्मा	दिनांक 31.12.2026
3.	377	लक्षिता कुमावत	दिनांक 31.12.2026
4.	254	जयवर्धन सिंह चारण	दिनांक 31.12.2026
5.	425	राहुल पाराशर	दिनांक 31.12.2026
6.	444	दीपक मेनारिया	दिनांक 31.12.2026
7.	126	किशोर सुथार	दिनांक 31.12.2026
8.	222	निशांत तिवारी	दिनांक 31.12.2026
9.	2301	मनीषा	दिनांक 31.12.2026
10.	243	प्रेरणा मावलिया	दिनांक 31.12.2026
11.	1705	प्रियंका जैन	दिनांक 31.12.2026
12.	278	अभिलाषा चौधरी	दिनांक 31.12.2026
13.	1130	रजनीश कुमार मीणा	दिनांक 21.10.2026
14.	194	पंकज यादव	दिनांक 31.12.2026
15.	770	सोमेन्द्र सिंह गुर्जर	दिनांक 31.12.2026
16.	1006	राहुल मीणा	दिनांक 31.12.2026
17.	926	प्रतिमा मीणा	दिनांक 31.12.2026
18.	190	सतीश शर्मा	दिनांक 31.12.2026
19.	139	अश्विनी कुंवर चुण्डावत	दिनांक 31.12.2026
20.	237	पूजा चौधरी	दिनांक 17.10.2026

उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि अवधि ~~प्रद~~ अपनी उपस्थिति वित्त (राजस्व) विभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक भी कार्यग्रहण नहीं करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी कार्यग्रहण हेतु इच्छुक नहीं है तथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। शेष शर्तें वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(9)वित्त/राजस्व /07028-10419077 दिनांक 01.10.2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,


(पवन जैन) 14.10.26
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. महानिदेशक एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 14.10.26

2/2